दैनिक भारत कि

तामीर

संपादक - काझी मकदूम शफीउद्दीन hinditameer@gmail.com

Editor in chief- Qazi makhdoom shafiuddin

बीड (महाराष्ट्र) | वर्ष-२ ला | अंक-२७ वा | मंगळवार ७ अक्टूबर २०२५ | RNI TITLE CODE:MAHHIN11405/120/1/3/2024 | किमत : २ रूपये | पन्ने - ४

सुप्रीम कोर्ट में हंगामा: वकीलने मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई पर जूता फेंकने की कोशिश की

'सनातन धर्म का अपमान नहीं सहेगा' का नारा लगाया

नई दिल्ली, ६ अक्टूबर २०२५: सुप्रीम कोर्ट के पवित्र परिसर में आज एक अभूतपूर्व घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। एक वकील ने मुख्य न्यायाधीश (मुख्य न्यायाधीश) बीआर गवई की अदालत में सुनवाई के दौरान उनके खिलाफ जूता फेंकने की कोशिश की और 'सनातन धर्म का अपमान नहीं सहेगा' का नारा लगाया। यह घटना मुख्य न्यायाधीश गवई के हालिया एक फैसले से जुड़ी बताई जा रही है, जिसमें उन्होंने भगवान विष्णु की एक मूर्ति के पुनर्निर्माण की याचिका पर 'अपने देवता से पूछ लो' जैसी टिप्पणी की थी, जिसे कुछ लोगों ने सनातन धर्म का अपमान माना। सुरक्षा कर्मियों ने वकील को तुरंत पकड़ लिया, लेकिन इस घटना ने न्यायपालिका की गरिमा पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

अदालत में क्या हुआ?

सुप्रीम कोर्ट के कक्ष क्रमांक १ में सुबह करीब ११:३५ बजे सुनवाई चल रही थी। आरोपी वकील, जिनकी पहचान राकेश किशोर (७१ वर्षीय, मयूर विहार, दिल्ली निवासी) के रूप में हुई है, अचानक मंच की ओर बढ़े। उन्होंने अपना जूता उतारकर मुख्य न्यायाधीश गवई की ओर फेंकने का प्रयास किया। उनके पास सुप्रीम कोर्ट वकील संघ और शाहदरा वकील संघ के कार्ड मिले। फेंके गए जूते से मुख्य न्यायाधीश को चोट नहीं लगी, लेकिन हंगामा मच गया।

वकील को बाहर निकालते समय वह चिल्ला रहा था, सनातन का अपमान नहीं सहेंगे या सनातन धर्म का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। उसके पास एक नोट भी मिला, जिसमें लिखा था, भारत सनातन धर्म का अपमान नहीं सहेगा। घटना के कारण सुनवाई कुछ मिनट के लिए रुकी, लेकिन मुख्य न्यायाधीश गवई ने शांति बनाए रखी। उन्होंने वकीलों से कहा, ऐसी बातों से विचलित न हों। हम विचलित नहीं हैं। ये चीजें मुझे प्रभावित नहीं करतीं। अपनी दलीलें जारी रखें। सुनवाई जल्द ही पटरी पर लौट आई।

राकेश किशोर सुप्रीम कोर्ट वकील संघ का पंजीकृत सदस्य है। दिल्ली पुलिस और सुप्रीम कोर्ट की सुरक्षा इकाई ने उसे हिरासत में ले लिया है। पूछताछ जारी है। भारत के वकील परिषद ने तत्काल कार्रवाई करते हुए किशोर को निलंबित कर दिया और अनुशासनात्मक जांच शुरू कर दी। परिषद के आदेश में कहा गया, प्रारंभिक सबूतों के आधार पर, ६ अक्टूबर २०२५ को सुबह ११:३५ बजे कक्ष क्रमांक १ में यह घटना हुई।

यह घटना मुख्य न्यायाधीश गवई के ३ अक्टूबर के फैसले से जुड़ी प्रतीत होती है, जिसमें खजुराहो (मध्य प्रदेश) में

भगवान विष्णु की ७ फुट ऊंची क्षतिग्रस्त मूर्ति के पुनर्निर्माण की याचिका पर उन्होंने टिप्पणी की थी: मूर्ति को बहाल करने के लिए अपने देवता से पूछ लो। इस बयान को हिंदू संगठनों ने सनातन धर्म का अपमान बताया था, जिसके बाद देशभर में विवाद फैल गया।

देशभर में हलचल: राजनीतिक और सामाजिक प्रतिक्रियाएं

यह घटना सामाजिक माध्यमों और राजनीतिक गलियारों में तूफान ला चुकी है। सामाजिक मंचों पर हजारों संदेशों में लोग न्यायपालिका की सुरक्षा और धार्मिक संवेदनशीलता पर बहस कर रहे हैं। कुछ इसे सनातन धर्म की रक्षा का प्रतीक बता रहे हैं, तो कुछ इसे न्यायिक गरिमा पर हमला मान रहे हैं।

राजनीतिक प्रतिक्रियाएं:

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी: उन्होंने मुख्य न्यायाधीश गवई से फोन पर बात की और संदेश जारी किया, सुप्रीम कोर्ट में आज मुख्य न्यायाधीश पर हमला हर भारतीय को गुस्सा दिला रहा है। समाज में ऐसी घृणित घटनाओं की कोई जगह नहीं। यह पूरी तरह निंदनीय है। न्यायमूर्ति गवई के शांत स्वभाव की सराहना करता हूं। उन्होंने इसे न्यायपालिका और कानून के राज पर हमला बताया।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे: मुख्य न्यायाधीश पर हमला अभूतपूर्व, शर्मनाक और घृणित है। यह न्यायपालिका की गरिमा और कानून के राज पर सीधा हमला है। जब एक दलित पृष्ठभूमि के न्यायाधीश को उच्चतम पद मिला, तो यह घटना दुखद है। सभी को एकजुट होकर निंदा करनी चाहिए।

वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह: सामाजिक मंच पर लिखा, सभी सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीशों को एक संयुक्त बयान जारी करना चाहिए कि ऐसी घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह न्यायिक स्वतंत्रता पर खतरा है।

पत्रकार राजदीप सरदेसाई: दुखद है कि जातिगत घृणा और धार्मिक असहिष्णुता का माहौल सामान्य हो रहा है। सामाजिक मंचों और जहरीली बहसें हिंसा को बढ़ावा दे रही हैं।

सामाजिक मंचों पर प्रतिक्रियाएं (चयनित):

हिंदू कार्यकर्ता: मुख्य न्यायाधीश गवई साहब, यह देखिए। कानून का राज बचा है या नहीं? पुलिस, प्रशासन, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री क्या कर रहे? अंधेर नगरी चौपट राजा!

एक चिकित्सक: इस नालायक को पकड़कर वही जूते क्यों नहीं मारे? पहले जूते मारने थे, फिर बात करना था।

एक उपयोगकर्ता: वह दिन-रात गलत खबरें रोकने का काम करता है। उसे जूते मिलने चाहिए। अगर १०० ऐसे लोग होते, तो भ्रामक समाचारों को कूड़ा बना देते।

एक महिला उपयोगकर्ता: तमिल में, सुप्रीम कोर्ट को राजनीतिकरण करने की कोशिश विफल। एक दल की चाल उजागर।

एक अन्य उपयोगकर्ता: पूर्व शासन में शांतिपूर्ण रथ यात्रा और दुर्गा पूजा थी, लेकिन नए शासन के बाद मस्जिदों पर जूते फेंकना और पूजा के दौरान पत्थरबाजी शुरू। कौन इसके पीछे है?

वकील समुदाय की प्रतिक्रिया: सुप्रीम कोर्ट वकील संघ ने किशोर को संघ से निष्कासित करने की मांग की। वरिष्ठ वकीलों ने इसे न्यायपालिका के लिए काला दिन बताया। कुछ ने मुख्य न्यायाधीश की टिप्पणी पर बहस छेड़ी, लेकिन अधिकांश ने हमले की निंदा की।

आगे क्या?

दिल्ली पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा ३५३ (सार्वजनिक सेवक के कर्तव्य में बाधा) और ५०४ (जाति/धर्म आधारित अपमान) के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए। यह घटना न्यायपालिका की स्वतंत्रता और धार्मिक भावनाओं के बीच संतुलन पर बहस छेड़ रही है। क्या यह एकाकी घटना है या बड़ा विवाद? आने वाले दिनों में और खुलासे हो सकते हैं। देश को शांति और संयम की जरूरत है, ताकि न्याय का मंदिर अपवित्र न हो।

(रिपोर्ट समाचार स्रोतों पर आधारित: प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडिया टीवी, लाइव लॉ, द हिंदू, एबीपी न्यूज, और सामाजिक मंचों के संदेश।)

विदर्भ के ११ और मराठवाड़ा के ८ जिलों में शुरू होगा दुग्ध विकास प्रकल्प

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मंत्री पंकजा मुंडे की दिल्ली बैठक में हुआ निर्णय

जमीर काज़ी

मुंबई :नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड (NDDB) द्वारा मदर डेयरी के सहयोग से विदर्भ के ११ और मराठवाड़ा के ८ जिलों में दुग्ध विकास प्रकल्प का दूसरा चरण लागू किया जाएगा। यह निर्णय केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और राज्य की पर्यावरण तथा पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे के बीच नई दिल्ली में सोमवार को हुई बैठक में लिया गया। इस प्रकल्प के तहत किसानों को दूध संग्रहण और चारा उत्पादन के लिए प्रोत्साहन देने पर विशेष जोर दिया गया है।ङ्गङ्गविदर्भ और मराठवाड़ा में NDDB द्वारा मदर डेयरी के सहकार्य से बूटीबोरी (नागपुर) और अन्य स्थानों पर पहले से चल रहे दुग्ध विकास प्रकल्प की समीक्षा के लिए यह बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में राज्य के पशुसंवर्धन सचिव रामास्वामी एन., आयुक्त प्रवीणकुमार देवरे, NDDB के चेयरमैन डॉ. शहा, विदर्भ-मराठवाड़ा दुग्ध प्रकल्प के संचालक डॉ. बोरानी और डॉ. श्रीधर सहित कई अधिकारी

उपस्थित थे।

सरकार का उद्देश्य इस प्रकल्प के माध्यम से विदर्भ और मराठवाड़ा के दुग्ध उत्पादन क्षेत्रों में उपलब्ध अधिक दूध का प्रभावी संग्रहण करना, दुग्ध व्यवसाय को सशक्त बनाना, दुधारू पशुओं की संख्या बढ़ाना और किसानों को आत्मनिर्भर बनाकर आर्थिक सहयोग देना है।ङ्गपहला चरण पहले ही विदर्भ और मराठवाड़ा के ११ जिलों में लागू किया गया था। अब दूसरे चरण में विदर्भ के ११ और मराठवाड़ा के ८ जिलों को शामिल किया गया है। कुल १९ जिलों के लिए दूध संग्रहण की कार्ययोजना पर बैठक में विस्तार से चर्चा की गई।ङ्गङ्गइस प्रकल्प के अंतर्गत उच्च दूध उत्पादन वाली गायें और भैंसें पशुपालक किसानों को वितरित की जाएंगी। साथ ही पशु प्रजनन पूरक आहार, दूध में फैट और SNF बढ़ाने वाले खाद्य पदार्थों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। बहुवर्षीय चारा फसलों के लिए विशेष अनुदान, विद्युत चालित चारा काटने की मशीनें, मुरघास (साइलो) वितरण तथा आधुनिक पद्धतियों से दुग्ध व्यवसाय करने के लिए किसानों को प्रशिक्षण देने की योजना है। बीड़ जिले के लंबित विकास कार्यों को लेकर पत्र बीड़ जिले में अतिवृष्टि (भारी वर्षा) से हुए नुकसान के बाद आवश्यक उपायों और विभिन्न विकास कार्यों के संदर्भ में मंत्री पंकजा मुंडे ने इस भेंट के दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को मांगों का पत्र सौंपा। इसके अलावा, दसरा मेळावा के उपलक्ष्य में उन्होंने केंद्रीय मंत्री गडकरी को राष्ट्रसंत भगवान बाबा की प्रतिमा भेंट कर उनका सत्कार किया।

कपिलधारवाड़ी में जमीन धंसने की गंभीर स्थिति: तत्काल भूगर्भ सर्वेक्षण की मांग

बीड: बीड तालुका के पाली ग्रामपंचायत क्षेत्र में स्थित कपिलधारवाड़ी इलाके में जमीन में दरारें पड़ने और भू-क्षय जैसी गंभीर भूगर्भीय परिस्थितियों को देखते हुए तत्काल वैज्ञानिक भूगर्भ सर्वेक्षण किया जाए, ऐसा पत्र खा. बजरंग सोनवणे ने भारत सरकार, नई दिल्ली के महानिदेशक, भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण को दिया है।

खा. बजरंग सोनवणे ने अपने पत्र में कहा है कि कपिलधारवाड़ी गांव और इसके आसपास (पाली ग्रामपंचायत) पिछले कुछ दिनों से अत्यंत गंभीर भूगर्भीय स्थिति उत्पन्न हुई है, जिस पर तुरंत ध्यान देना आवश्यक है। हाल के कुछ दिनों में इस इलाके में जमीन में बड़े-बड़े दरारें देखी गई हैं और ये तेजी से बढ़ रही हैं। कई स्थानों पर जमीन का धंसना भी स्पष्ट रूप से देखा गया है। इससे स्थिति अत्यंत गंभीर हो गई है और स्थानीय नागरिकों में भय का माहौल पैदा हुआ है। इसके कारण खेत की जमीन, घर, सार्वजनिक सड़कें आदि संभावित खतरे में हैं।

इस विषय की आपातकालीन और तात्कालिक प्रकृति को ध्यान में रखते हुए इस मामले को प्राथमिकता देकर आपके प्रादेशिक एवं केंद्रीय विभागों के माध्यम से तुरंत कार्रवाई की जाए, ऐसा भी खा. बजरंग सोनवणे ने कहा है। इसी आशय का निवेदन राज्य के मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फड़नवीस और उपमुख्यमंत्री तथा संपर्क मंत्री श्री अजितदादा पवार को भी दिया गया है, ताकि इस गंभीर मामले पर राज्य शासन का ध्यान आकर्षित किया जा सके।

लकी ड्रॉ ने बनाया खुशनसीब, नगराध्यक्ष के लिए शेख मुजीब

बीड (प्रतिनिधि)

राज्य की २४७ नगरपालिकाओं और १४७ नगर पंचायतों में नगराध्यक्ष पद के आरक्षण की घोषणा आज की गई। इस घोषणा में बीड नगरपालिका का नगराध्यक्ष पद अनुसूचित जाति (एससी) महिला वर्ग के लिए आरक्षित किया गया है। नगराध्यक्ष पद एससी महिला वर्ग के लिए आरक्षित होने से बीड शहर की राजनीतिक समीकरणों में बड़ा बदलाव आने वाला है। इस बीच सायं.दै.सिटीझन के संपादक शेख मुजीब शेख खाजा को नगराध्यक्ष पद के लिए प्रबल दावेदार माना जा रहा है। पिछले एक दशक से आम नागरिकों के सवालों को अपनी लेखनी के माध्यम से बेबाकी से उठाने वाले और समाजसेवा में सक्रिय भूमिका निभाने वाले शेख मुजीब भाई के लिए यह अवसर उनके जीवन में एक बड़ा मोड़ साबित हो सकता है। शेख मुजीब भाई के नेतृत्व में बीड शहर के नागरिकों को एक मजबूत और नया विकल्प प्राप्त हुआ है। एक आश्वासक और विश्वसनीय चेहरा होने के कारण शेख मुजीब भाई का नगराध्यक्ष बनना बीड शहर के लिए निश्चित रूप से एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है।

नगराध्यक्ष पद एससी महिला वर्ग के लिए आरक्षित होना और साथ ही राजनीतिक समीकरणों का अनुकूल बनना एक तरह से राजनीतिक संयोग कहा जा सकता है। अवसर मिल चुका है - अब इस अवसर को स्वर्णिम बनाना बीड शहर के नागरिकों के समर्थन पर निर्भर करेगा।

अभी नहीं तो कभी नहीं

राजनीतिक जूते एक तरफ रखकर, स्वार्थ और गुटबाज़ी छोड़ - सबको एकजुट होने की ज़रूरत

बीड का नगराध्यक्ष पद एससी महिला वर्ग के लिए आरक्षित होना न केवल महत्वपूर्ण है बल्कि यह एक बड़ा राजनीतिक बदलाव भी लेकर आया है।

सायं.दै.सिटीझन के संपादक शेख मुजीब पिछले ३०-३५ वर्षों से समाजसेवा में सक्रिय हैं। पिछले एक दशक से उन्होंने अपने अख़बार के माध्यम से एक जिम्मेदार सिटीजन के रूप में बीड के नागरिकों की समस्याओं को आवाज़ दी है।

उन्होंने जात-पात, गुटबाज़ी या निजी स्वार्थ से ऊपर उठकर हर व्यक्ति के मुद्दे को समान रूप से न्याय दिलाने का प्रयास किया है।

एससी महिला आरक्षण के चलते बना यह अवसर बीड में सामाजिक परिवर्तन लाने का माध्यम बन सकता है।

इसलिए अभी नहीं तो कभी नहीं के भाव से - राजनीतिक मतभेदों को छोड़कर, गुटों को दरकिनार कर, शेख मुजीब भाई को नगराध्यक्ष बनाने के लिए सबको एकजुट होना आवश्यक है।

सर्वसमावेशी और विश्वसनीय चेहरा

सायं.दै.सिटीझन के माध्यम से पत्रकारिता की शुरुआत करने के बाद से संपादक शेख मुजीब भाई ने हमेशा निर्भीक और निष्पक्ष लेखन किया है।

चाहे पत्रकारिता हो या निजी जीवन - उन्होंने कभी किसी राजनीतिक मंच या झंडे का सहारा नहीं लिया। उन्होंने कभी किसी दबाव में आकर गरीब या आम नागरिक के साथ अन्याय नहीं किया।

उनका व्यक्तित्व चरित्रवान, अध्ययनशील और सर्वधर्मसमभाव से प्रेरित है।

एक आश्वासक, सर्वसमावेशी और विश्वसनीय चेहरा होने के कारण बीड के नागरिकों की निगाहें अब शेख मुजीब भाई पर टिकी हैं - और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है।

उर्दू दैनिक तामीर के २५ वे साल में क़दम रखने पर एक और पेशकश

काटेंगे नहीं, बाँटेंगे-खटीक समाज का अनोखा उपक्रम, हाजी अरफात शेख के हाथों पूरग्रस्त किसानों को पशुधन वितरण!

काज़ी अमान / गेवराई

गेवराई तालुका के कानडा पिंपलगांव में राज्य मुस्लिम खटीक समाज सेवा संस्था की ओर से बाढ़ प्रभावित किसानों को पशुधन वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर संस्था के संस्थापक अध्यक्ष एवं भाजपा ट्रांसपोर्ट सेल के प्रमुख हाजी अरफात शेख ने काटेंगे नहीं, बाँटेंगे कहते हुए मानवता और एकता का सशक्त संदेश दिया।

उनके जोशपूर्ण भाषण ने उपस्थित जनसमूह में उत्साह और जागरूकता का वातावरण निर्मित किया।

अपने संबोधन में हाजी अरफात शेख ने कहा –

हम कुरैशी हैं, बकरे काटने वाले हैं, लेकिन आज हम काटेंगे नहीं, बाँटेंगे। बाढ़ ने कोई भेदभाव नहीं किया, तो हम क्यों करें? हम मुस्लिम हैं, लेकिन इस संकट की घड़ी में सबसे पहले हम इंसान हैं। हम तुम्हारे दुख में सहभागी हैं, तुम्हारे संघर्ष के

साथी हैं। बाढ़ ने किसानों की खेती, पशुधन और घर सब बहा दिए, मगर हमारा संकल्प है – हम उनके उजड़े हुए संसार को फिर से खड़ा करेंगे।

उन्होंने आगे कहा, इसी उद्देश्य से आज हम प्रत्येक पूरग्रस्त परिवार को बकरी-बकरा, गाय और राशन सामग्री दे रहे हैं। यह कोई दान नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने का मार्ग है।

कार्यक्रम के दौरान हाजी अरफात शेख ने एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि –

बाढ़ में अनेक विद्यार्थियों का शैक्षणिक साहित्य बह गया है, इसलिए अब हम सभी बच्चों को नई किताबें, बस्ते और आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराएँगे, ताकि उनका शिक्षा-प्रवास रुकने न पाए।

पूरग्रस्त महिला किसानों द्वारा बताई गई दर्दनाक कहानियाँ सुनकर हाजी अरफात शेख भावुक हो उठे। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा –

मैं आपके सारे प्रश्न मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब के समक्ष रखूँगा और आपकी सहायता का ठोस मार्ग अवश्य निकालूँगा।

इस अवसर पर उन्होंने समाज के सभी वर्गों को संबोधित करते हुए कहा –

मानवता ही सच्चा धर्म है। आज हम मजहब और जाति-पात की दीवारें पार कर इंसानियत का धर्म निभाने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं। बाढ़ ने जो छीना, उसे हम लौटाएँगे – एक हाथ मदद का और दूसरा प्रेरणा का।

इस मानवीय अभियान में हाजी अरफात शेख को संस्था के राज्य उपाध्यक्ष जावेद भैय्या कुरैशी का पूरा सहयोग मिला। उन्होंने तत्परता से सभी पूरग्रस्त परिवारों के लिए सहायता की योजना बनाकर उनके टूटे हुए जीवन को फिर से बसाने की दिशा में ठोस कदम उठाया।

कार्यक्रम में फिल्म अभिनेता शहेदाद खान, सरपंच जुबैर पटेल, युवा पत्रकार जुनेद बागवान, उद्धव मडके, संस्था के जिलाध्यक्ष मुश्ताक कुरैशी, इस्माईल अत्तार सहित अनेक गणमान्य उपस्थित थे।

मुस्लिम समाज ने गाय, बकरी-बकरा जैसे पशुधन का दान देकर न केवल सहायता की, बल्कि समाज में एकता, सौहार्द और मानवता का नया आदर्श प्रस्तुत किया।

हाजी अरफात शेख के नेतृत्व में शुरू हुआ यह उपक्रम न केवल बाढ़ प्रभावितों के लिए राहत लेकर आया, बल्कि पूरे समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया।

अंत में हाजी अरफात शेख ने कहा –

बाढ़ ने जनजीवन रोक दिया, पर हम उसे फिर से पटरी पर लाएँगे, क्योंकि हम 'काटेंगे नहीं, बल्कि बाँटेंगे'।

कार्यक्रम में बाढ़ प्रभावित महिला और पुरुष किसानों की बड़ी संख्या में उपस्थिति रही।

मुंबई में डॉ.योगेश क्षीरसागरने की संपर्क मंत्री अजितदादा पवारसे मुलाकात

कपिलधारवाड़ी, हिंगणी खुर्द के पुनर्वसन, नाट्यगृह व डीपी सड़कों को मिलेगा निधि

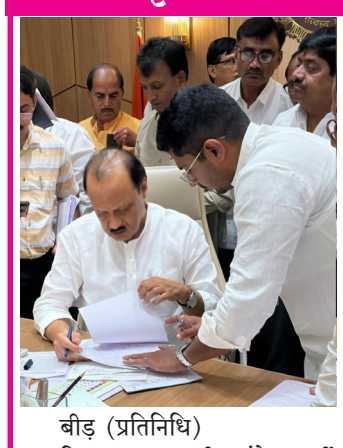

बीड़ (प्रतिनिधि)

दि. ६ : राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के बीड़ विधानसभा अध्यक्ष डॉ. योगेश क्षीरसागर ने सोमवार (दि. ६) को मुंबई में राज्य के उपमुख्यमंत्री तथा बीड़ जिले के संपर्क मंत्री अजितदादा पवार से मुलाकात की और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की। इस दौरान बीड़ और शिरूर कासार तहसील के आपदाग्रस्त क्षेत्रों के पुनर्वसन, विकास परियोजनाओं तथा आगामी स्थानीय चुनावों पर भी गहन चर्चा हुई।

बीड़ तहसील के कपिलधारवाड़ी गांव में हुए भूस्खलन की गंभीर स्थिति की ओर डॉ. क्षीरसागर ने अजितदादा पवार का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने मांग की कि वहां रहने वाले नागरिकों के पुनर्वसन के लिए तथा उन्हें सुरक्षित स्थान पर बसाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। इस पर संपर्क मंत्री अजितदादा पवार ने प्रशासन को आवश्यक निर्देश देने का आश्वासन दिया।

हिंगणी खुर्द गांव में पानी घुसने से हुए नुकसान पर भी चर्चा हुई। डॉ. क्षीरसागर ने मांग की कि इस क्षेत्र के पंचनामे, सहायता वितरण और गांव के पुनर्वसन की प्रक्रिया तुरंत शुरू की जाए। बीड़ शहर की डीपी सड़क परियोजना के प्रति भी अजितदादा पवार ने सकारात्मक दृष्टिकोण दर्शाया और कहा कि अन्य सड़कों के लिए डीपीसी के अलावा राज्य सरकार से अतिरिक्त निधि दी जाएगी।

नाट्यगृह के नवीनीकरण के लिए मिलेगा साढ़े आठ करोड़ का निधि

बीड़ शहर के यशवंतराव चव्हाण नाट्यगृह के नवीनीकरण के लिए नगरविकास विभाग की ठोस तरतूद हेड से साढ़े आठ करोड़ रुपये का निधि जल्द ही मंजूर किया जाएगा। यह सकारात्मक निर्णय संपर्क मंत्री अजितदादा पवार ने लिया है, ऐसी जानकारी डॉ. योगेश क्षीरसागर ने दी।

स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं के चुनावों पर भी हुई चर्चा

आगामी स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं के चुनावों के संदर्भ में भी डॉ. योगेश क्षीरसागर और अजितदादा पवार के बीच विस्तृत चर्चा हुई। इस दौरान अजितदादा पवार ने आवश्यक मार्गदर्शन देते हुए कहा कि चुनाव पूरे जोश और ताकत से लड़े जाएंगे।

राज्य की २४७ नगर परिषदों और १४७ नगर पंचायतों के अध्यक्ष पदों का आरक्षण घोषित

जमीर काजी

मुंबई:

राज्य की २४७ नगर परिषदों में से ३३ पद अनुसूचित जाति, ११ पद अनुसूचित जनजाति और ६७ पद नागरिकों के पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित किए गए हैं। शेष १३६ पद खुले वर्ग के लिए आरक्षित हैं। यह आरक्षण सोमवार को राज्यमंत्री माधुरी मिसाल की उपस्थिति में घोषित किया गया।

नगर परिषदों का आरक्षण निम्नलिखित है:

अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित (कुल ३३ पद):

❊ अनुसूचित जाति महिलाओं के लिए आरक्षित (१७ पद):

देऊळगाव राजा, २. मोहोळ, ३. तेल्हारा, ४. ओझर, ५. वाना डोंगरी (नागपुर), ६. भुसावळ, ७. घुग्घुस, ८. चिमूर, ९. शिर्डी, १०. सावदा, ११. मैंदर्गी, १२. डिगडोह (देवी), १३. दिग्रस (यवतमाळ), १४. अकलूज, १५. परतूर, १६. बीड, १७. शिरोळ

❊ अनुसूचित जाति (सामान्य) के लिए आरक्षित (१६ पद):

पांचगणी, २. हुपरी, ३. कळमेश्वर, ४. फुरसुंगी ऊरुळी-देवाची, ५. शेगांव, ६. लोणावळा, ७. बुटीबोरी, ८. आरमोरी, ९. मलकापूर (जि. सातारा), १०. नागभिड, ११. चांदवड, १२. अंजनगांव सूर्जी, १३. आर्णी, १४. सेलू, १५. गडहिंग्लज, १६. जळगांव-जामोद

अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित:

कुल ११ पदों में से ६ पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं।

❊ अनुसूचित जनजाति महिलाओं के लिए आरक्षित (६ पद):

पिंपळनेर, २. शेंदूरजनाघाट, ३. भडगांव, ४. यवतमाळ, ५. उमरी, ६. वणी

❊ अनुसूचित जनजाति (सामान्य) के लिए (५ पद):

पिंपळगांव-बसवंत, २. राहुरी, ३. एरंडोल, ४. अमळनेर, ५. वरुड

नागरिकों के पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित:

कुल २४७ नगर परिषदों में से ६७ पद इस वर्ग के लिए आरक्षित हैं।

❊ नागरिकों के पिछड़े वर्ग (सामान्य) के लिए (३३ पद):

तिरोडा, २. वाशिम, ३. भद्रावती, ४. परांडा, ५. नंदुरबार, ६. खापा, ७. शहादा, ८. नवापूर, ९. त्र्यंबक, १०. कोपरगांव, ११. मंगरुळपीर, १२. कन्हान-पिंपरी, १३. पाथर्डी, १४. रामटेक, १५. नशिराबाद, १६. पालघर, १७. वरणगांव, १८. मलकापूर (जि. बुलडाणा), १९. इस्लामपूर, २०. मोहपा, २१. तुमसर, २२. महाड, २३. राहता, २४. श्रीवर्धन, २५. ब्रम्हपूरी, २६. दर्यापूर, २७. वैजापूर, २८. गोंदिया, २९. सांगोला, ३०. वर्धा, ३१. येवला, ३२. कंधार, ३३. शिरपूर-वरवाडे

❊ नागरिकों के पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए (३४ पद):

धामणगांव रेल्वे, २. भोकरदन, ३. भगूर, ४. मालवण, ५. वरोरा, ६. हिंगोली, ७. मोर्शी, ८. उमरेड, ९. हिवरखेड, १०. बाळापूर, ११. शिरूर, १२. कुळगांव-बदलापूर, १३. देगलूर, १४. नेर-नबाबपूर, १५. धाराशिव, १६. इगतपूरी, १७. माजलगांव, १८. मुल, १९. बल्लारपूर, २०. जुन्नर, २१. कुर्डूवाडी, २२. औसा, २३. मुरुड-जंजिरा, २४. अकोट, २५. विटा, २६. चोपडा, २७. सटाणा, २८. काटोल, २९. दौंड, ३०. रोहा, ३१. देसाईगंज, ३२. पुलगांव, ३३. कर्जत (जि. रायगड), ३४. दोंडाईचा-वरवाडे

खुले वर्ग के लिए आरक्षित:

कुल २४७ में से १३६ पद खुले वर्ग के लिए आरक्षित हैं, जिनमें ६८ पद महिलाओं के लिए हैं।

❊ खुला वर्ग (सामान्य):

फलटण, २. अहमदपूर, ३. पाथरी, ४. चाळीसगांव, ५. तळोदा, ६. वाई, ७. नांदगांव, ८. जयसिंगपूर, ९. निलंगा, १०. लोहा, ११. खोपोली, १२. राजगुरूनगर, १३. कराड, १४. जेजुरी, १५. उमरगा, १६. आळंदी, १७. पुसद, १८. बारामती, १९. जत, २०. पारोळा, २१. तळेगांव-दाभाडे, २२. सासवड, २३. गडचांदुर, २४. रिसोड, २५. वेंगुर्ला, २६. पातूर, २७. किल्लेधारुर, २८. चिखली, २९. मेहकर, ३०. दारव्हा, ३१. सिल्लोड, ३२. सिन्नर, ३३. देवळी, ३४. मुरूम, ३५. वडगांव, ३६. महाबळेश्वर, ३७. आष्टा, ३८. दुधणी, ३९. कुंडलवाडी, ४०. खुलताबाद, ४१. नरखेड, ४२. राजूरा, ४३. सिंदखेडराजा, ४४. वाडी, ४५. डहाणू, ४६. देवळाली-प्रवरा, ४७. कामठी, ४८. अक्कलकोट, ४९. सातारा, ५०. भोर, ५१. इंदापूर, ५२. चिपळूण, ५३. माथेरान, ५४. श्रीगोंदा, ५५. श्रीरामपूर, ५६. मनमाड, ५७. नळदुर्ग, ५८. भोकर, ५९. बिलोली, ६०. अंबेजोगाई, ६१. जिंतूर, ६२. सोनपेठ, ६३. गंगापूर, ६४. पांढरकवडा, ६५. घाटंजी, ६६. मुर्तीजापूर, ६७. चिखलदरा, ६८. तुळजापूर

❊ खुले वर्ग की महिलाओं के लिए:

परळी-वैजनाथ, २. मुखेड, ३. अंबरनाथ, ४. अचलपूर, ५. मुदखेड, ६. पवणी, ७. कन्नड, ८. मलकापूर (जि. कोल्हापूर), ९. मोवाड, १०. पंढरपूर, ११. खामगांव, १२. गंगाखेड, १३. धरणगांव, १४. बार्शी, १५. अंबड, १६. गेवराई, १७. म्हसवड, १८. गडचिरोली, १९. भंडारा, २०. उरण, २१. बुलडाणा, २२. पैठण, २३. कारंजा, २४. नांदुरा, २५. सावनेर, २६. मंगळवेढा, २७. कळमनूरी, २८. आर्वी, २९. किनवट, ३०. कागल, ३१. संगमनेर, ३२. मुरगुड, ३३. साकोली, ३४. कुरुदंवाड, ३५. पुर्णा, ३६. कळंब, ३७. चांदुरेल्वे, ३८. चांदुरबाजार, ३९. भुम, ४०. रत्नागिरी, ४१. रहिमतपूर, ४२. खेड, ४३. करमाळा, ४४. वसमत, ४५. हिंगणघाट, ४६. रावेर, ४७. जामनेर, ४८. पलुस, ४९. यावल, ५०. सावंतवाडी, ५१. जव्हार, ५२. तासगांव, ५३. राजापूर, ५४. सिंधीरेल्वे, ५५. जामखेड, ५६. चाकण, ५७. शेवगांव, ५८. लोणार, ५९. हदगांव, ६०. पन्हाळा, ६१. धर्माबाद, ६२. उमरखेड, ६३. मानवत, ६४. पाचोरा, ६५. पेण, ६६. फैजपूर, ६७. उदगीर, ६८. अलीबाग

नगर पंचायतों का आरक्षण:

राज्य की १४७ नगर पंचायतों के अध्यक्ष पदों का आरक्षण घोषित किया गया। इसमें अनुसूचित जाति के लिए १८ पद (९ महिलाओं और ९ सामान्य के लिए), अनुसूचित जनजाति के लिए १३ पद (७ महिलाओं और ६ सामान्य के लिए), नागरिकों के पिछड़े वर्ग के लिए ४० पद (२० महिलाओं और २० सामान्य के लिए), और खुले वर्ग के लिए ७६ पद (३८ महिलाओं और ३८ सामान्य के लिए) आरक्षित हैं।

अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित:

❊ महिलाओं के लिए (९ पद):

निलडोह, २. गोधनी (रेल्वे), ३. कोरची, ४. बहादुरा, ५. धानोरा, ६. गौंडपिंपरी, ७. ढाणकी, ८. अहेरी, ९. बेसा-पिपळा

❊ सामान्य (९ पद):

येरखेडा, कांद्री (कन्हान), भिसी, कुरखेडा, देवरी, माळेगांव (ब्रु.), बिडगांव-तरोडी (खुर्द)-पांढुर्णा, भातकुली, दहीवडी

अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित:

❊ महिलाओं के लिए (७ पद):

भिवापूर, अर्जुनी-मोरगांव, सिरोंचा, हिंगणा, समुद्रपूर, पाली, देवळा

❊ सामान्य (६ पद):

कोरपणा, कळंब, माणगांव, गोरेगांव, सेलू, सिंदेवाही

नागरिकों के पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित (४० पद):

❊ सामान्य (२० पद):

पारनेर, तळा, खानापूर, पालम, मंठा, कोंढाळी, माळशिरस, एटापल्ली, झरी-जामणी, पोंभूर्णा, माहूर, आटपाडी, मालेगांव-जहांगिर, तिर्थपूरी, कणकवली, शिरुर-कासार, विक्रमगड, अकोले, मोखाडा, सुरगणा

❊ महिलाओं के लिए (२० पद):

घनसावंगी, भामरागड, मंचर, पाटोदा, माढा, कळवण, सावली, मानोरा, मारेगांव, आष्टी (जि. वर्धा), तलासरी, वडवणी, पोलादपूर, खालापूर, शिरुर-अनंतपाळ, जाफ्राबाद, चाकूर, आष्टी (जि. बीड), जिवती, कर्जत (जि. अहिल्यानगर)

खुले वर्ग के लिए आरक्षित (७६ पद):

❊ सामान्य (३८ पद):

शेंदूर्णी, साक्री, सालेकसा, कवठे-महांकाळ, देवणी, मोताळा, अर्धापूर, बोदवड, हिमायतनगर, कसई-दोडामार्ग, मुलचेरा, धडगांव-वडफळ्या, कुडाळ, कोरेगांव, दापोली, वाभवे-वैभववाडी, निफाड, चंदगड, चार्मोर्शी, बदनापूर, कारंजा, धारणी, फुलंब्री, हातकणंगले, लोहारा (ब्रु.), मुरबाड, केज, आजरा, संग्रामपूर, खंडाळा, वडूज, देवगड-जमसंडे, नेवासा, मौदा, शिराळा (जि. सांगली), नायगाव, सेनगाव, महागाव

❊ महिलाओं के लिए (३८ पद):

बाभुळगांव, २. मुक्ताईनगर, ३. कुही, ४. देहू, ५. शहापूर, ६. पारशिवनी, ७. वडगांव-मावळ, ८. तिवसा, ९. मंडणगड, १०. शिंदखेडा, ११. लांजा, १२. देवरुख, १३. वाडा, १४. लोणंद, १५. मेढा, १६. जळकोट, १७. दिंडोरी, १८. सडक-अर्जुनी, १९. म्हसळा, २०. नातेपुते, २१. रेणापूर, २२. लाखणी, २३. औंढा-नागनाथ, २४. पाटण, २५. पेठ, २६. कडेगांव, २७. अनगर, २८. महादूला, २९. सोयगांव, ३०. वैराग, ३१. लाखांदूर, ३२. राळेगांव, ३३. गुहागर, ३४. नांदगांव-खडेश्वर, ३५. महाळुंग-श्रीपूर, ३६. वाशी (जि. धाराशिव), ३७. बार्शी-टाकळी, ३८. मोहाडी

बीड़ में स्नातक मतदाता नामांकन अभियान शुरू-प्रा.अमर शेख

बीड़ (प्रतिनिधि) – राज्य के औरंगाबाद विभाग में स्नातक मतदाता सूची को पुनः तैयार किया जा रहा है। पुरानी मतदाता सूची रद्द कर दी गई है। इसके लिए २०२२ तक स्नातक (ग्रैजुएट) उत्तीर्ण कर चुके व्यक्तियों को अपनी नामांकन प्रक्रिया पूरी कर अपनी नाम मतदाता सूची में दर्ज करानी होगी। इसी उद्देश्य से बीड़ जिले में स्नातक मतदाता नामांकन अभियान चलाया जा रहा है।

इस अभियान की शुरुआत आज शिक्षा क्षेत्र के विद्वान प्रा. इलियास इनामदार के मार्गदर्शन में स्नातक प्रमाणपत्र देते हुए मतदाता नामांकन फॉर्म भरकर की गई।

इस संदर्भ में आयोजित बैठक में शिक्षा क्षेत्र के वरिष्ठ मार्गदर्शक और सेवानिवृत्त प्रा. मुजतबा खान की अध्यक्षता में समाज में स्नातक मतदाता नामांकन के प्रति जागरूकता फैलाने पर व्यापक चर्चा हुई।

अधिक जानकारी एवं संपर्क के लिए बीड़ जिले के लिए नामांकित वरिष्ठ शिक्षा क्षेत्र के प्रतिनिधियों के नंबर इस प्रकार हैं:

प्रा. अमर शेख – ९४०५१०१०३४

मुजतबा अहमद खान – ९४२३४७०२५५

प्रा. इलियास इनामदार – ९८२३७३१७३२

प्रा. जावेद पाशा – ७३८५७७६७८६

डॉ. सिराज आरज़ू खान – ९१३०९१७७७७

सय्यद नबीलउज़मा भाई – ९०२८४४७७७७

मुशाहेद काज़ी – ८००७३१३७८६

शेख एजाज़ भाई – ९२२६२१४१२२

सय्यद अर्शद भाई नेकनूर – ७०९८०३०४०५

जिल्हे में नामांकन सहायता केंद्र:

कुलस्टार एसी सर्विस सेंटर, दर्गाह के सामने, बालेपीर, बीड़ – ७२७६७८१८०८

सिराज सिद्दीकी अल्टिमेट ऑनलाइन सेंटर, महादेव स्वीट होम के पीछे, बशीरगंज, बीड़ – ९८२३०८९७६८

बीड़ जिले में स्नातक मतदान नामांकन के लिए मार्गदर्शन एवं सहायता केंद्र शुरू

मुफ्ती हारीस, रहेमत बुक डिपो, नुरानी मस्जिद, मोमीनपुरा, बीड़ – ९०२८४५२४८७

अफ्फान महाराष्ट्र मल्टी सर्विसेस, बाबा चौक, इस्लामपुरा, बीड़ – ७८२१८४४०८३

इमरान शहा, जय हिंद मल्टी सर्विसेस, गांधीनगर, बीड़ – ९७६६५४१२६६

जीशान क्लासिक मोबाईल, महसूल कॉलनी, बीड़ – ८५०७७७७७२७

फरहान डीसेंट सर्विसेस, डॉक्टर ज़िया उर्रहमान हॉस्पिटल के पास, बार्शी नाका, बीड़ – ८७९३०१३७५७

अन्य संपर्क व्यक्ति: परळी नजीर अहमद – ९६७३९७९७८६, जब्बार खान – ९०२८९६५९२३, आंबेजोगाई फहाद फारुकी – ७०२०१६७०२०, शेख मुशाहेद – ९४२१२७९७४९, अजिमुद्दीन सर – ९७३०४६७८३३, केज इद्रिस सर – ८६६८५२०२१३, यकिन खान – ९४२२६५५६१०, माजलगांव नुमान चाऊस – ९७६६६२७९८६, अब्दुल रशीद – ९८८१८८१९८९, गेवराई वडवणी – ८५५१९९९९८७, सिरसाला – ९२८४०५५४९०, आष्टी डॉ. नदीम शेख – ९८६०८४४८७१, पाटोदा ए. सय्यद सज्जाद – ९८५६५६७७७७, गेवराई – ९५२७४७८६६२, शिरूर शेख अझहर – ९४२३२३८९०९, नेकनूर अर्शद शेख – ७०९८०३०४०५।

आवश्यक दस्तावेज:

स्नातक की डिग्री या मार्कशीट

आधार कार्ड

मतदाता पहचान पत्र

दो पासपोर्ट साइज फोटो

महिला उम्मीदवार या नाम में बदलाव के लिए पैन कार्ड / विवाह प्रमाण पत्र / गज़ट की एक प्रति

व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी, फॉर्म नंबर १८ प्रा. अमर शेख ने सभी स्नातकों से अपील की है कि वे अपने नाम को स्नातक मतदाता सूची में दर्ज कराएं और इस अवसर का लाभ उठाएं।

दैनिक भारत की तामीर अखबार के मालिक, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक काजी मखदूम शफीउद्दीन ने आरएम प्रिंटरर्स, बार्शी रोड, बीड 431122 महाराष्ट्र में मुद्रित कर के दैनिक तामीर, नगर परिषद परिसर, बशीर गंज, बीड, महाराष्ट्र कार्यालय से प्रकाशित किया है। मोबाइल : 9270574444 ईमेल : hinditameer@gmail.com वेबसाइट : www.dailytameer.com

daily Bharat ki tameer newspaper owner printer publisher editor Quazi makhdoom shafiuddin has printed at RM printers barshi road beed 431122 Maharashtra at published at office daily tameer nagar parishad complex Bashir gunj beed Maharashtra. Mobile : 9270574444 Email : hinditameer@gmail.com Website : www.dailytameer.com